549911/2021/O/o IRO(JAIPUR)

File No.8B/Raj/04/09/2021/FC



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / Integrated Regional Office.



े एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / Integrated Regional Office, Jaipur

ए 218 & बी 216 "अरण्य भवन ", झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर - ३०२००४ / A-218& B-216, "ARANYA

BHAWAN" ,Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004

दूरभाष/Tel No: 0141-2713858, 2713786 Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

File No. 8B/Raj/04/09/2021/FC रोवामें,

Date: 02nd November, 2021

খ্যাজ, থাসতল স্যায়িব (বন) সিবিল স্যায়িবালয, যাजस्थान शासन जयपुर, राजस्थान।

<u>(ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/RJ/Trans/44981/2020)</u>

विषयः Diversion of 2.8874 ha forest land in favour of Powergrid Fatehgarh Transmission Limited for construction of 765 KV DC Fatehagarh-II to Bhadla-II Transmission Line, District- Jodhpur, Rajasthan. सन्दर्भः शासन सचिव (वन), राजस्थान का पत्र क्रमांक प.1 (1) वन/2021 दिनांक 19.08.2021. महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव पर इस कार्यालय के सैद्धांतिक अनुमोदन दिनांक 25.03.2021 का अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित कर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रस्ताव के परिक्षणोपरांत यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायेः

1. Complete Compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 is not submitted, as the records of consultation and meetings at the Sub-Divisional Level Committee and Gram Sabha level have not been submitted along with the compliance.

उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड करायें ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

> अवण कुमार वर्मा) उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीरा)

प्रतिलिपिः (ई-मेल द्वारा)

- 1. मुख्य तन रारक्षक (तन रारक्षण) एवं नोडल अधिकारी, तन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
- 2. उप वन संरक्षक, जोधपुर, राजस्थान।
- 3. पॉवरग्रिड फतेढगढ़ ट्रॅारागिशन लिमिटेड, प्लॉट न0 115 नन्दपुरी कॉलोनी, नागौरी रोड़ फलौदी, जोधपुर, राजस्थान।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जरापुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आदेश पत्रावली।



भारत सरकार Government of India पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय Ministry of Environment, Forest & Climate Change एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर Integrated Regional Office, Jaipur



केम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज-लखनऊ-226024 Camp Office, Kendriya Bhawan, 5⁶ Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696 Email: iro.jaipur-mefec*(a* gov.in, goimoefirojaipur*(a*/gmail.com

पत्र संख्या–8बी/राज0/04/9/2021/एफ.सी. /9&

दिनॉक: 25.03.2021

सेवा में

शासन सचिव(वन), सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन, जयपुर, राजस्थान।

(Online Proposal No: FP/RJ/Trans/44981/2020)

विषयः Diversion of 2.8874 ha. forest land in favour of Powergrid Fatehgarh Transmission Limited for construction of 765 KV DC Fatehgarh-II to Bhadla-II Transmission Line, District-Jodhpur, Rajasthan.

सन्दर्भः शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक-प.1(1)वन/2021, जयपुर, दिनांक-03.03.2021.

महोदय,

12

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशव ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण नें वन (संरदाण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी गयी थी।

प्रकरण के परीक्षणोरान्त मुझे आपको यह सूचित करना है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु 2.8874 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 244 वृक्षों (236 पोल्स, 8 वृक्ष) के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:--

- 1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over an area of 5.7748 ha degraded Forest land in Compartment No. Osian-6, Village Osian, Range Osian, District Jodhpur at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
- 3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
- 4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 2.8874 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- 6. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
- 8. The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line and deposit the cost for execution of the said scheme to the State Forest Department.

- The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.
- 10. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.
- 11. Muck disposal plan as approved by the conserned DFO shall be submitted.
- 12. NOC of concerned department (NHAI etc) shall be submitted.
- 13. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 14. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 15. No labour camp shall be established on the forest land.
- 16. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
- 17. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- 18. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 19. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
- 20. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 21. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 22. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
- 23. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.
- 25. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया,

(प्राची गंगवार) उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)/ क्षेत्रीय अधिकारी, जयपुर

प्रतिलिपि : (ई-मेल द्वारा)

- 1. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजरथान।
- 2. उप वन संरक्षक, जोधपुर, राजस्थान।
- फ्रॅंबेरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लि0, प्लॉट नं0 115 नन्दपुरी कॉलोनी, नागौर रोड फलौदी, जोधपुर, राजस्थान।
- 🗶 पर्यावरण, वन एवं जलबायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतू/आदेश पत्रावली।

भाषी गंगवार) भाषी गंगवार) उप वन मलागिरीबाक (केन्द्रीय)/

क्षेत्रीय अधिकारी, जयपुर

Annexure-I

FORM-I

(for linear projects) Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, JODHPUR

No. 5582

Dated.15 12 2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.8874 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Power Grid Fatehgarh Transmission Limited for Construction of 765 K.V. D/C Fatehgarh II to Bhadla II Transmission Line overhead crossing of the Bithri Village K.No. 89 of Phalodi Tehsil, Village Dediya K.No. 46, 18 of Lohawat Tehsil & Village Khirwa K.No. 112/16, 112/10, 112/8, Village Gadna K.No. 44, 68 & Village Barisird K.No. 169, 144, 153 of Bap Tehsil by 765 KV D/C Fatehgarh II Bhadla II Transmission Line Under Tehsil Phalodi, Bap & Lohawat District Jodhpur. State Rajasthan falls within jurisdiction of Jodhpur.

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.8874 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to Annexure C.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent on it.
- (c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-

Encls .: As above.

No. Revenue/Forest/Diversion/20/5583 Copy Forwarded to : 1. DCF. Teritorial, Jodhpur



(Inderjeet Singh) District Collector Jodhpur Date : 15 12/2020



राजस्थान सरकार कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर <u>www.jodhpur.rajasthan.gov.in</u>

क्रमांकः— राजस्व / FRA / 2020 / 58

दिनांक : \5/12/2020

बैठक कार्यवाही विवरण

पॉवरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा तहसील फलोदी के ग्राम बिठड़ी टॉवर लॉकेशन (58/0-59/0) खसरा नंबर 89 तादादी 0.2348 हैक्टेयर, तहसील लोहावट के ग्राम डेडिया टॉवर लॉकेशन (37/0-38/0) खसरा संख्या 46, 18 तादादी 0.2361 हैक्टेयर एवं तहसील बाप के ग्राम खीरवां टॉवर लॉकेशन (75B/0-76/0) खसरा संख्या 112/16, 112/10, 112/8 तादादी 1.9307 हैक्टेयर, ग्राम गाडना टॉवर लॉकेशन (92/0-93/0) खसरा संख्या 44, 68 तादादी 0.2376 हैक्टेयर एवं ग्राम बडीसिड टॉवर लॉकेशन (99/0-100/0) खसरा संख्या 169, 144, 153 तादादी 0.2482 हैक्टेयर कुल 2.8874 हैक्टेयर वन मूमि पर 765 के.वी. डी/सी फतेहगढ़-11 से भडला-11 ट्रांसमिशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा (6)3 के प्रावधान अनुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों / कर्त्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.12.2020 को आहूत की गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारी / सदस्य उपस्थित हुए –

- 1. श्री इन्द्रजीत सिंह जिला कलक्टर, जोधपुर (अध्यक्ष)
- डॉ. इन्द्रजीत यादव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जोधपुर
- 3. श्री विकास अरोड़ा

उप वन संरक्षक, जोधपुर

उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड फलोदी में दिनांक 03.11.2020, उपखण्ड बाप में दिनांक 14.10.2020 एवं उपखण्ड लोहावट में दिनांक 27.10.2020 को उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिसका बैठक कार्यवाही विवरण जिला स्तरीय बैठक में विचारार्थ रखा गया। उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण में बताया गया है कि उक्त वन भूमि पर 765 के.वी. डी/सी फतेहगढ़–।। से भडला–।। ट्रांसमिशन लाईन स्थापित किये जाने से किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। उपखण्ड स्तरीय समिति ने ग्राम पंचायत की अनुमोदित भूमि को पॉवरग्रिड फतेहगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 के.वी. डी/सी फतेहगढ़–।। से भडला–।। ट्रांसमिशन लाईन स्थापित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मती से पारित किया है।

उक्त ट्रांसमिशन लाईन स्थापित करने हेतु प्रभावित होने वाली 2.8874 हैक्टेयर वन भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार का कोई भी दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है।

तद्नुसार तहसील फलोदी के ग्राम बिठड़ी खसरा संख्या 89 तावादी 0.2348 हैक्टेयर, तहसील लोहावट के ग्राम डेडिया खसरा संख्या 46, 18 तावादी 0.2361 हैक्टेयर एवं तहसील बाप के ग्राम खीरवा खसरा संख्या 112/16, 112/10, 112/8 तावादी 1.9307 हैक्टेयर, ग्राम गाडना खसरा संख्या 44, 68 तावादी 0.2376 हैक्टेयर एवं ग्राम बडीसिड खसरा संख्या 169, 144, 153 तावादी 0.2482 हैक्टेयर **कुल रकबा 2.8874** हैक्टेयर वन भूमि पर पॉवरग्रिड फतेहगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा 765 के वी. डी/सी फतेहगढ़–11 से भडला–11 ट्रांसमिशन लाईन की ख्यापना हेतु 2.8874 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार अनुशंषा की जाती है।

उप वन संरक्षक, जोधपुर

जिला कलक्टर, जोधपुर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर राजस्थान सरकार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, फलाँदी (जोधपुर)

दिनांक : 02.09.2020

क्रमांक : न्याय / बैठक / 2020 / 12-98

4141 81150

प्रेषिति :--

विकास अधिकारी पंचायत समिति फलोदी ।

विषय – अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार जारी वनभूमि आयोजन वन अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में ग्राम पंचायत स्तरीय वैठक का आयोजन करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर पत्रांक : राजस्व/एफआरए/20/3083–3085 दिनांक 30.07.2020 की पालना में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार जारी वनभूमि आयोजन वन अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया जाना है । उपखण्ड स्तर बैठक के से पूर्व ग्राम पंचातय बिठडी की बैठक का आयोजन कर कार्यवाही विवरण अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें ।

> (यशपाल आहूजा) उपखण्ड अधिकारी फलौदी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी जिला जोधपुर क्रमांक :- बैठक/2020/ प्रेषिति :--

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय , जोधपुर

EA

विषयः – वन भूमि के लिये प्रत्यावर्तन वास्ते – पावरग्रिड फतेहगढ ट्रान्समीशन लिमिटेड, फलोदी को ग्राम बिठड़ी की कुल 0.2348 हैक्टेयर।

प्रसंगः— श्रीमान के पत्र क्रमांक :— राजस्व/एफआरए/20/3083—3085 दिनांक 30.07..2020 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पावरग्रिड फतेहगढ ट्रान्समीशन लिमिटेड, फलोदी को ग्राम बिठडी के टॉवर लोकेशन (58/0–59/0) खसरा नं. 89 तादादी (0.2348) हेक्टेयर से 765 केवी डी/सी पावरग्रिड फतेहगढ ट्रांसमिशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड स्तरीय गठित समिति बैठक दिनांक 03.11.2020 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं तत्ससंबंधी नियम 2008 संशोधन नियम 2012 की क्रियान्विति के संबंध में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। संलग्न:– बैठक कार्यवाही विवरण

> भवदीय जपखण्ड अधिकारी फलौदी

दिनांक :- 03/11/2020

क्रमांक :— बैठक / 2020 / 3 6 / 3 ~ (⁵ प्रतिलिपि:—

- मैमैजर, पावरग्रिड फतेहगढ ट्रान्समीशन लिमिटेड, मकान न. 115 नन्दपुरी कॉलोनी नागौर रोड, फलोदी।
- 2. रक्षित पत्रावली।

फलौदी

राजापाल आहला

राजस्थान सरकार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी जिला जोधपुर क्रमांक :- बैठक / 2020 / '3 (14 बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के पत्र क्रमांक राजस्व/एफआरए/20/3083-3085 ति 30.07.2020 की अनुपालना में आज दिनांक 03.11..2020 को प्रातः 11:00 बजे अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार जारी वनभूमि आयोजन वन अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए:-

- 1. श्री ललित कुमार गर्ग, विकास अधिकारी, प.स. फलौदी
- 2. श्री बलवंत सिंह, नायब तहसीलदार फलौदी
- 3. श्री बुधाराम विश्नोई, क्षेत्रीय वन अधिकारी, फलौदी
- 4. श्री शिवेन्द्र पाल सिंह, क्षेत्रीय अभियन्ता, पावरग्रिड फतेहगढ ट्रान्समीशन लिमिटेड, फलोदी

बैठक में अनुसुचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण बैठक में विचारार्थ रखा गया:—

- 1. पावरग्रिड फतेंहगढ ट्रान्संमीशन लिमिटेड, फलोदी के निर्माण के लिए ग्राम बिठडी में टॉवर लोकशन (58/0-59/0) खसरा नं. 89 तादादी (0.2348) हेक्टेयर पर 765 केवी डी/सी पावरग्रिड फतेहमट ट्रांसमिशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और जन्स परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के स्वय अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु पावरग्रिड फतेहगढ ट्रान्समिशन लिमिटेड, फलोदी ने अवदान पत्र प्रस्तुत किया गया।
 - अनुशंषा :--

 ग्राम बिठडी टॉवर लोकेशन (58/0-59/0) खसरा नं. 89 तादादी 0.2348 हेक्टेयर पर 765 केंके डी/सी पावरग्रिड फतेहगढ ट्रांसमिशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध पावरग्रिड फतेहगढ ट्रान्समीशन लिमिटेड, फलोदी के द्वारा उक्त भूमि पर किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय व हित प्रभावित नहीं होते है। अतः पावरग्रिड फतेहगढ ट्रान्समिशन लिमिटेड, फलोदी हेतु सर्वसम्मटे से नियमानुसार अनुशंषा की जाती है।

ललित कुमारी गर्ग विकास अधिकारी फलौदी

नायब तहसीलदार फलौदी

बुधाराम विश्नोई क्षेत्रीय वन अधिकारी फलौरी

Charles ?

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी जिला जोधपुर

क्रमांक :- बैंठक/2020/3615

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के पत्र क्रमांक राजस्व/एफआरए/20/3083–3085 दिनाक 30.07.2020 की अनुपालना में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार जारी वनभूमि आयोजन वन अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 03.11..2020 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए :--

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	हस्ताक्षर	वि.वि.
1	बलवंत सिंह	नायब तहसीलदार फलौदी	698	
2	ललित कुमार गर्ग	विकास अधिकारी फलौदी	Kalf	
3	बुधाराम विश्नोई	क्षेत्रीय वन अधिकारी फलौदी	- A	
4	शिवेन्द्र पाल सिंह,	क्षेत्रीय अभियन्ता, पावरग्रिड फतेहगढ ट्रान्समीशन लिमिटेड	SL	

(यशपाह उपखण्ड अधिकारी फलौदी

दिनांक :- o 3/11/00/

यशपाल आद्वेला उपखण्ड अधिकारी



राजस्थान रारकार

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (इन्सीडेन्ट कगाण्डर) लोहावट जिला– जोधपुर ई–गेल (sdmlohawat@gmail.com)

क्रमांक / राजस्व / बैठक / 2020 / 2039

दिनांक:-28/10/20

प्रेषितः–

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर।

विषयः– 765 केवी डीसी फतेहगढ से भडला ट्रांसमिशन लाईन हेतु बैठक कार्यवाही के संवंध में। प्रसंगः– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,जोधपुर पत्रांक/राजस्व/एफआरए/20/3083–3085 दिनांक 30.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत है की ग्राम डेडीया में 765 केवी डीसी फतेहगढ से भडला ट्रांसमिशन लाईन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार जारी वन भूमि आयोजन वन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड स्तरीय गठित समिति बैठक दिनांक 27.10.2020 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं तत्ससंबंधी नियम 2008 संशोधन नियम 2012 की क्रियान्विति के संबंध में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। सलग्न:– बैठक कार्यवाही विवरण

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट लोहावट दिनांक:-28/1×120

क्रमांक / राजस्व / बैठक / 2020 /

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,जोधपुर।
- 2. श्रीमान अति० जिला कलक्टर महोदय, फलोदी।
- 3. मै. फतेहगढ भडला ट्रान्समीशन लिमिटेड आदर्श नगर फलोदी।

उपखण्ड अधिकारी एवं

उपज़िलाः (मिजिस्ट्रेले श्लोहावट

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, लोहातट (जोमपुर) in more that is the

St. Address Counding a and again and the 2021 27/10/20

- केटल कार्याक्षर लिप्रहणः

Gerend marks

लगाउंग रहे होग प्रसंखनात मुन जिलाहों (नन आदिवासी को गाल्यता) 2008 पूर्व नियम 2008 उथ्व निमने 2012 के असमीत महिता समझाण्ड रहारांग सामगण का नाजमाए रक्तर 27/30/20 न्य

ाज ताहीय परंपरामत पुम मंगणरों) (यम जीविकारी की मान्यता) 2008 एवं नियम 2008 तथा संशोधित म २०१२ के अंतर्गत पहित उपलाप के रतशेंध समिति की बैठक दिनांक २३४ १०/२.९ की कार्यालय ्रिज सीतावट अपसम्पद अग्रियनशे की अध्यातला में संघरन हुई। वेउथा में निम्न प्रस्तादां घर दर्जा हो

जनवीड फरोडमण रांगामिशन लिगिटेड, फलोबी के द्वारा प्रत्यांग जो कि 765 के बी. डी.सी. सल्डेट योगरा-2 में घडता-2 पारंपण लाईन गिर्माण के लिए यसरा नुम्हर 46.18 में से (0.2361 है) हे जुडी ्र महोटम अरमे हेतु यह अतिरहार आधिनियम 2006 के तहत अनूतूचित जनजाति और अन्य परम्परागत दन त्रेजन गढी कर रहे है, का प्रमाण पत्र के सम्बंधित है।

अभिति हारा उपत प्रकरण में विवार-विभव कर यह निर्णय लिया गुया है कि पविरगिद कतेहमा , टरगेन्द्रन हिसीटड फलोसी के झरा प्रसाप जो कि 765 केंदी दे सी राहिंट करोहन्छ-2 से महला-2 जरेवन लाइन विमाय क लिए जराज माकर 46.18 में से (0.2361 है) है जुनि प्रत्याजीपण करने हेतु वन नहि आ अधिनियम 2008 के साल अपूर्श्वित जनकाति और अन्य परम्पतमत बन्द निवास पहाँ राष्ट्र रहे है

रपञ्चण्ड झोहागट, जिला जावपुर में अपुर्युदित जनजाति और अन्य परायसमय वन निवासी वन अधेवता की मान्यता) 2006 एव नियम 2608 तथा संशोधित निवम 2012 के अत्तर्भत्व जरिमाधित कोई अत अवन्या का राज्यका 2000 पर गामा 2000 पना मध्यता गामा 2012 हा न्यायता पार्ट्स्याय पर्यायता पार्ट्स्य ज अनुसंसित जनसाति और अन्य परमासनत तम निवासी का व्यक्ति/समुदाय खरत अधिनियम/निवर्म्यों के अनुसारम् भाषान्त्र आर जाम तरावर्थन्त्र हेतु उपरायतं अधिनियम् एवं भियमं में जन्मस्तियाः भाषान्त्र त्ययम्। क सतमेत देव किसी भी प्रकार के वन अतिकार हेतु उपरायतं अधिनियम् एवं भियमं में जन्मस्तियतं भाषता महो

वाहसीलनार तेथ् 19:275

विकास अधितिस 136524

वेजीय 'त जाविकार्थ, फल्मोर्च CR: CR

cule persons

महा जमंदी की अनुसंशा के आचार पर प्रमाणित किया जाता है।

राजरणन-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, लोहावट (जोधपुर) कमांकः / विविध / 2020 / 29522

住前:27/10/20

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड लोहावट परिक्षेत्र के अन्तर्गत डेडिया (0.2361) हेक्टयर कुल वन 0.2361 हेक्टयर है वन भूमि का पावरग्रिड फतेहगढ़ दासमिशन लिमिटेड, फलोदी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लोहावट) की दिनांक 2.3.12.. 20 को संपन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:--

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वरवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक श्री राजीव शर्मा, उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न अनुसार है।

1.श्री राजीव शर्मा	उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2.89 (SPANELA, STER	तहसीलदार	सदस्य
3.89	विकास अधिकारी	सदस्य
4.89 SEALETH Cosais	क्षेत्रीय वन अधिकारी	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उपखण्ड अधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि पॉवर ग्रिड फतेहगढ़ द्वासमिशन लिमिटेड फलोदी 765 के.वी. डबल सर्किट फतेहगढ़-2 से भड़ला-2 पारेषण लाईन हेतु (0.2361 हे.) है वन भूमि पॉवर ग्रिड फतेहगढ़ दासमिशन लिमिटेड फलोदी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्वित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंषा की गई है।

सम्बन्धित क्षेत्रीय वनाधिकारी लोहावट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एव तत्सबंधी नियम 2008 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत करायाकि वन अधिनियम 2006

के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्वन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

12

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड लोहावट के अन्तर्गत (डेडिया) परिक्षेत्र के पॉवर ग्रेड फतेहगढ़ दासमिशन लिमिटेड फलोदी 765 के.वी. डबल सर्किट फतेहगढ–2 से भड़ला–2 पारेषण लाईन निर्माण हेतु 0.2361 हे. वन भूमि पॉवर ग्रिड फतेहगढ़ दासमिशन लिमिटेड फलोदी प्रयोक्ता एजेन्सी का जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुममि प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किया जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

उपखुएँड्_लअधिकरिक्षियक्ष तहसील_हलोहावर्ट्ञजिला^{भुवप्}पूर्



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एंव उप जिला गजिरट्रेट लोगवट जिला– जोधपुर ई–मेल (sdmlohawat@gmail.com)

क्रमांक / विविध / बैठक / 2020 / 2932 A

दिनांकः-27.10.2020

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,जोधपुर के पत्रांक/राजरय/एफआरए/20/3083–3085 दिनांक 30.07.2020 की पालना में अनुसूचित जन जाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार जारी वन भूमि आयोजन वन अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति की वैठक दिनांक 27.10.2020 को दोपहर 1:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में रखी गयी जिसमें निम्न पदाधिकारीयों ने भाग लिया:--

व	नाम अधिकारी	पद	हरताक्षर	वि.वि.
सं			OVINGIX	14.14.
01	निरभाराम कीटेना	तहसीलदार देचू	B	
02	YEMIZZIY	विकास अधिकारी देचू	4	
03	Course A-	क्षेत्रिय वन अधिकारी रेंज लोहानट	- en	
	खुत्पामाम । दिनिगा र	Edit		
04	Shivendary Pal Singh	फील्ड इंजि.पावरग्रिड फतेहगढ		
		ट्रांसमिशन लि.	CL	

राजस्थान सरकार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी जिला जोधपुर क्रमांक :- बैठक / 2020 / देनांक :-

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय , जोधपुर

विषयः— वन भूमि के लिये प्रत्यावर्तन वास्ते – पावरग्रिड फतेहगढ ट्रान्समीशन लिमिटेड, फलोदी को ग्राम बिठड़ी की कुल 0.2348 हैक्टेयर।

प्रसंगः— श्रीमान के पत्र क्रमांक :— राजस्व / एफआरए / 20 / 3083—3085 दिनांक 30.07..2020 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पावरग्रिड फतेहगढ ट्रान्समीशन लिमिटेड, फलोदी को ग्राम बिठड़ी के टॉवर लोकेशन (58 / 0—59 / 0) खसरा नं. 89 तादादी (0.2348) हेक्टेयर से 765 केवी डी / सी पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड स्तरीय गठित समिति बैठक दिनांक 03.11.2020 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं तत्ससंबंधी नियम 2008 संशोधन नियम 2012 की क्रियान्विति के संबंध में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। संलग्न– बैठक कार्यवाही विवरण

भवदीय उपखण्ड अधिकारी फलौदी

 $\frac{1}{2020}$

क्रमांक :-- बैठक / 2020 / 3 6 / 3 -- (-5 प्रतिलिपि:--

- मैमैंजर, पावरग्रिड फतेहगढ ट्रान्समीशन लिमिटेड, मकान नं. 115 नन्दपुरी कॉलोनी नागौर रोड, फलोदी।
- 2. रक्षित पत्रावली।

फलौट

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी जिला जोधपुर क्रमांक :- बैठक / 2020 / 3 (14

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के पंत्र क्रमांक राजस्व/एफआरए/20/3083-3085 दिना 30.07.2020 की अनुपालना में आज दिनांक 03.11..2020 को प्रातः 11:00 बजे अनुसूचित जनजाति एव अन् परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार जारी वनभूमि आयोजन वन अनापत्ति प्रमाण पत्र ह संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में सम्पन्त 😤 बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए:--

- श्री ललित कुमार गर्भ, विकास अधिकारी, प.स. फलौदी
- 2. श्री बलवंत सिंह, नायब तहसीलंदार फलौदी
- 3. श्री बुधाराम विश्नोई, क्षेत्रीय वन अधिकारी, फलौदी
- 4. श्री शिवेन्द्र पाल सिंह, क्षेत्रीय अभियन्ता, पावरग्रिड फतेहगढ ट्रान्समीशन लिमिटेड, फलोदी

बैठक में अनुसुचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण बैठक में विचारार्थ रखा गया:-

1. पावरग्रिड फतेहगढ ट्रान्संमीशन लिमिटेड, फलोदी के निर्माण के लिए ग्राम बिठडी में टॉवर लोकशक (58 / 0-59 / 0) खसरा नं. 89 तादादी (0.2348) हेक्टेयर पर 765 केवी डी / सी पावरग्रिड फतेल्यन ट्रांसमिशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति आर जन्म परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु पावरग्रिङ फतेहगढ ट्रान्समिशन लिमिटेड, फलोदी ने आज पत्र प्रस्तुत किया गया।

अनुशंषा :--

1. ग्राम बिठडी टॉवर लोकेशन (58/0–59/0) खसरा नं. 89 तादादी 0.2348 हेक्टेयर पर 765 केंगे डी / सी पावरग्रिड फतेहगढ ट्रांसमिशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध पावरग्रिड फतेहण्ड ट्रान्समीशन लिमिटेड, फलोदी के द्वारा उक्त भूमि पर किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय क हित प्रभावित नहीं होते है। अतः पावरग्रिड फतेहगढ ट्रान्समिशन लिमिटेड, फलोदी हेतु सर्वराजन से नियमानुसार अनुशंषा की जाती है।

गर्ग

ललित कुर्मारी विकास अधिकारी फलौदी

नायब तहसीलदार फलौदी

ब्धाराम वेश्नोई क्षेत्रीय वन अधिकारी फलोवा

दिनांक :- @ 2/11-

उपखण्ड अधिकाश फलौदी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी जिला जोधपुर

मांक :- बैठक/2020/3615

D/

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के पत्र क्रमांक राजस्व/एफआरए/20/3083–3085 दिनाक 0.07.2020 की अनुपालना में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के जनुसार जारी वनभूमि आयोजन वन अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दनांक 03.11..2020 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई बैठक न निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए :--

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	हस्ताक्षर	वि.वि.
1	बलवंत सिंह	नायब तहसीलदार फलौदी	89	
2	ललित कुमार गर्ग	विकास अधिकारी फलौदी	Kalp	
3	बुधाराम विश्नोई	क्षेत्रीय वन अधिकारी फलौदी	man A	
4	शिवेन्द्र पाल सिंह,	क्षेत्रीय अभियन्ता, पावरग्रिड फतेहगढ ट्रान्समीशन लिमिटेड	SL	

(यशप उपखण्ड अधिकारी फलौदी

दिनांक :- 0 3/11/0

कार्यालय उपराण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, वाप (जोवपुर) NG2 door-admbup-led-ticonic in

क्षराधीलक खत धाल- आजरबाज्य जनातील्ला भरिशार मान women / Jaffau / Burn / PODO / 2/297

stud un-orshi-zricso Instan Istialization

रोधित-

श्रीगान् जिला कलवटर महोंदय,

PPEdio

विषया-वन भूमि प्रत्यावतेन वास्ते-पावरग्रिङ फतेहगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड,फलोदी को बाप के गाम खीरवां, गाडना व बडीसिड की कुल 2.4165 हैक्टेयर।

प्रसंग-श्रीमॉन् के पत्रांक कमांक राजस्व/एफआरए/20/3083-3085 दिनांक 30.07.2020 महोदय.

जगरोवत विषयान्तर्गत पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसभिशन लिमिटेड,फलोदी को ग्राम बाप के खीरवां टॉवर लोकेशन (75B / 0-76 / 0) खसरा संख्या 112 / 16, 112 / 8, 112 / 10 तादादी 1.9307 हैक्टेयर तथा गाडना (92/0-93/0) खसरा संख्या 44, 68 तादादी 0.2376 हैक्टेयर व बडीसिड (99/0-100/0) खसरा रांख्या 169, 144, 153 तादादी 0.2482 हैक्टेयर से पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड स्तरीय गठित समिति बैठक दिनांक 14.10.2020 को अद्योहस्ताक्षरंकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 संशोधन नियम 2012 की कियान्विति के संबंध में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। संलग्नः- बैठक कार्यवाही विवरण

(महावीर सिंह) उपखण्ड अधिकारी बाप(जोधपुर) Ranta - 15/10/2

क्मांकः / विविध / बैठक / 2020 / 229 8 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.मैनेजर पावरग्रिड फतेहगढ ट्रांसमिशन लि. मुकान नम्बर 115 नंद्रपुरी कॉलोनी नागौर रोड,फलोदी। 2.रक्षित पत्रावली।

(महावीस्सिंह) उपखण्ड अधिकारी बाप(जोधपुर)

ALMANDA- MADIA

कायोलय उपखण्ड अधिकारी, वाप(जोधपुर)

---:बैठक कार्यवाडी विवरण:--

उपराण्ड रतरीय परंपसागत वन नियासी (वन अधिकारी की मान्यता) 2006 एवं नियम 2006 तथा संगोधित नियम 2012 के अंतर्गत गठित उपराण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 1.4 1.999.2. का कार्यमाही दिवरण:-

पीयरथिउ फरोहमढ ट्रांसमिशन लिमिटेड, फलोदी के दारा प्रस्ताव को कि 765 के.वी. डी.वी. डॉकेंट फरोहमढ-2 से भड़ला-2 पारेषण लाईन निर्माण के लिए खसरा नम्बर 112/16, 112/6, 112/16, 144,153,169,44,68 में से (2.4165 है.) है मूमि प्रत्यारोपण करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तड़त अन्स्प्रीय जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे हैं, का प्रमाण पत्र के सम्बंधित है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण में विद्यार-विमर्थ कर यह निर्णय लिया गया है कि पवित्रग्रिंड फतेहगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड, फलोवी के द्वारा प्रस्ताव जो कि 765 केंबी. डी.सी. सकिंट फतेहगढ-2 से महत्वा-2 पारेषण लाईन निर्माण के लिए खसरा नम्बर 112/10,112/8, 112/16, 144,163,169,44,68 में से (2.4165 हे.) है भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के लहत अनुबुधित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे है, का प्रमाण पत्र के सम्बंधित है। उक्त प्रमाण पत्र दिए जाने की चर्चा की गयी।

उपखण्ड बाप, जिला जोधपुर में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत बन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संबोधित नियम 2012 के अंतर्गत परिमाषित कोई नी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

संदर्ध

TURNER

बाद(जावपुर)

विकास अधिकारी सवस्य

क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाप सदस्य

1

C. T. W

उक्त कमेटी की अनुसंधा के आधार पर प्रमाणित किया जाता है।

Scanned by CamScanner

याजस्थान-सरकार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, वाप (जोधपुर) राजीन्य का प्रमान्धपढण्ड कार्यालय परिसर्वाय <u>इंगल-sdmbap-iod-ti@nic.in</u> संपर्क मूत्र-0321-211050 राजक/विकि/ वेठय/ 2020/ 2-2-95

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, जोघपुर के पत्रांक राजस्व/एफआरए/20/3083-3085 दिनांक 30.07.2020 की पालना में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार जारी वन भूमि आयोजन् वन अनापति प्रमाण पत्र के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 14.10.2020 को प्रातः 11.00 वजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में रखी गई जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया:--

	54	The second second		TOO
क सं	नाम अधिकारी	पद	हस्ताक्षर	वि.वि
1.	श्री हुक्मीचंद	तहसीलदार, बाप	(gat)	
2.	श्री धनदान देथा	विकास अधिकारी पंचायत समिति बाप	ser	
3.	श्री बुधाराम विश्नोई	क्षेत्रीय वन अधिकारी,रेंज,वाप	al	
4.	श्री शिवेन्द्रपाल सिंह	फील्ड इंजि. पावरग्रिड फतेहगढ़ टांसमिशन लि.	Sund	

 $\tilde{\lambda}_{i}$

सिंह) मिहनवीर उपखण्ड अधिकारी वाप(जोधपुर)

Scanned by CamScanner